न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सिमरिया।

विविध वाद सं0–26 / 2023–24

1. सीटन यादव पिता स्व0–सुकर महतो
2. उगन यादव पिता–सीटन यादव दोनों साकिन–राहम टोला–चातर थाना–टंडवा जिला–चतरा।

———— प्रथम पक्ष

बनाम

1 पच्चु यादव उर्फ पच्चु महतो पिता स्व0–कौडी महतो,
2 अकली देवी पति– पच्चु यादव उर्फ पच्चु महतो
3 रिंकी कुमारी उर्फ रिंकी देवी पति– सुखदेव यादव उर्फ सुभास यादव
4 सुखदेव यादव उर्फ सुभास यादव
5 लखन यादव
6 रूपलाल यादव
7 लालु यादव चारो के पिता– पच्चु यादव उर्फ पच्चु महतो
8 गीता देवी पति– लालु यादव
9 रीना देवी पति– लखन यादव
10 डॉली कुमारी पति– रूपलाल यादव
11 मुकुन कुमार पिता– सुखदेव यादव उर्फ सुभास यादव
सभी साकिन–राहम टोला–चातर थाना–टण्डवा जिला–चतरा ।

————द्वितीय पक्ष

आदेश

1. इस वाद की कार्यवाही प्रथम पक्ष सीटन यादव पिता–स्व0 सुकर महतो साकिन–राहम टोला–चातर थाना–टंडवा द्वारा टंडवा अंचल अंतर्गत मौजा–राहम टोला–चातर के खाता नं0–389 प्लॉट सं0–2599 कुल रकबा–4.40 ए0 भूमि पर कायम अवैध जमाबंदी को रद्द करने हेतु दाखिल आवेदन–पत्र के आलोक में प्रारंभ किया गया। उभय पक्षों को अपने–अपने दावा के समर्थन में कागजातें के साथ उपस्थित होने का निदेश दिया गया।
2. उभय पक्ष उपस्थित हुए एवं विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अपना–अपना पक्ष, दलील दिया गया एवं राजस्व कागजात दाखिल किया गया।
3. **प्रथम पक्ष** की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं दलील दिया गया कि प्रश्नगत् भूमि पर प्रथम पक्ष वो प्रथम पक्ष के पूर्वज के समय से ही वास्तविक रूप से जायज तरीके से काबिज दखलकार हैं तथा प्रश्नगत् भूमि पर फसल लगाकर अपने मसरफ में लाते रहे एवं वर्तमान समय में इस वाद के प्रथम पक्ष काविज–दखलकार हुए तथा विभिन्न प्रकार का फसल उगाकर अपने मशरफ में लाते रहे थे, साथ हीं भूतपूर्व जमींदार लटिया मोदी द्वारा प्रथम पक्ष सं0–01 के पिता सुकर महतो के नाम से रिटर्न भी दाखिल है।

मौजा–राहम के हल्का नं0–V, तौजी संख्या–28 थाना नं0–62 के पंजी–II के भाग 4 के पृष्ठ सं0–88 अंतर्गत खाता सं0–389 प्लॉट सं0–2599 कुल रकवा–4.40 ए0 जमीन प्रथम पक्ष संख्या एक के पिता सुकर महतो के नाम से हुकुमनामा के माध्यम से प्राप्त जमीन है जिसपर प्रथम पक्षकार के द्वारा कई वर्षों से खेती का कार्य किया जा रहा था एवं दखल–कब्जा में चले आ रहे थे। उक्त जमीन का जमाबंदी कायम होकर प्राप्ति से लेकर वर्ष–2020–21 तक सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत है जिसपर प्रथम पक्ष दखलकार है।

3.1 प्रश्नगत् भूमि खाता सं0–389 प्लॉट सं0–2599 कुल रकबा–4.40 ए0 जमीन प्रथम पक्ष सं0–1 के पिता "सुकर महतो" के नाम से हुकुमनामा के माध्यम से सम्वत् 1999 साल यानी वर्ष–1944 ई0 को जमीन प्राप्त है, जिसपर प्रथम पक्ष सं0–01 के पिता सुकर महतो बन्दोबस्ती के दिन से पूर्ण हक–अधिकार के साथ काबिज–दखलकार हुए तथा जमींदार को लगान देकर जमींदारी मालगुजारी रसीद प्राप्त किये तथा जमींदारी उन्मूलन के बाद सरकार को वर्ष–1954–55 से ही लगान देकर सरकारी रसीद प्राप्त करते रहे तथा प्रथम पक्ष सं0–01 के पिता सुकर महतो के मरने के बाद आवेदक/प्रथम पक्ष के सदस्य लगातार प्रश्नगत् भूमि पर आज तक काबिज–दखलकार चले आ रहे हैं तथा प्रथम पक्ष के द्वारा प्रश्नगत् भूमि पर खेती का कार्य किया जा रहा था एवं दखल–कब्जा में चले आ रहे थे।

3.2 बंदोबस्तधारी सुकर महतो के एक मात्र पुत्र प्रथम पक्ष सं0–01 सिटन यादव हुए और जो पिता की मृत्यु के बाद उपरोक्त भूमि पर दाखिल–कब्जेदार हुए और विभिन्न प्रकार के फसल लगाकर अपने मशरक में लाते रहे तथा वर्तमान में प्रथम पक्ष के पिता सुकर महतो के नाम से अभी भी जमाबंदी कायम है लगान रसीद निर्गत हो रहा है। आवेदक सं0–01 के पिता एवं आवेदक सं0–02 के दादा सुकर महतो के नाम से सरकारी लगान रसीद निर्गत होते आ रहा है, जिसका ऑफ लाईन एवं ऑनलाईन लगान रसीद वर्ष– 2021–22 तक जमा किया गया है।

3.3 जब वर्ष– 2022–23 ई0 में प्रथम पक्ष के द्वारा प्रश्नगत् भूमि का पुनः लगान जमा करने हेतु ऑन–लाईन जाँच किया तो देखा कि उपरोक्त खाता, प्लॉट की भूमि का रकबा 15.40 ए0 जमीन का एक अन्य जमाबंदी पच्चु महतो पिता कौड़ी महतो के नाम से दिख रहा है, जबकि आवेदक के या आवेदक के पिता के द्वारा उपरोक्त नामित व्यक्तियों के पास 4.40 ए0 जमीन का न ही बिक्री किया गया है और न ही किसी भी प्रकार से हस्तांतरित किया गया है, विपक्षी के द्वारा अंचल कार्यालय से ऑन–लाईन के माध्यम से जमाबंदी पंजी–II में दर्ज करवाकर दोहरा जमाबंदी कायम करवा लिया गया है, जब आवेदक के द्वारा दोहरा जमाबंदी की जानकारी माँगी गई तो टाल–मटोल कर टण्डवा अंचल कार्यालय के द्वारा कोई जानकारी नहीं दिया गया, तब बाध्य होकर प्रथम पक्ष के द्वारा इस न्यायालय में आवेदन दिया गया।

3.4 विपक्षीगण/द्वितीय पक्ष के सदस्यगण फर्जी हुकुमनामा पच्चु महतो पिता– कौड़ी महतो के नाम से अंचल कार्यालय में प्रस्तुत कर मौजा– राहम के हल्का सं0–V तौजी सं0–28 थाना नं0–62 के पंजी–II के पृष्ठ सं0 152 अंतर्गत खाता सं0–389 पलॉट सं0–2599 कुल रकबा–15.40 ए0 फर्जी एवं जाली कागजात के आधार पर एवं अंचल कार्यालय को अपने मेल में फर्जी तरीके से दाखिल–खारिज करवाकर उक्त जमीन का जमाबंदी पच्चु महतो के नाम से करवाकर प्रथम पक्ष को बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है, जबकि पच्चु महतो का जन्म सम्वत् 1997 साल यानी वर्ष– 1940 ई0 में नहीं हुआ था, परंतु फर्जी हुकुमनामा बनाकर प्रश्नगत् भूमि के अलावे अन्य भूमि का एक साथ जमाबंदी करवाया है, जबकि तथाकथित हुकुमनामा अलग–अलग जमीन का निर्गत की बात परिलक्षित होता है। जबकि वोटर लिस्ट वर्ष–2019 के अनुसार पच्चु महतो उर्फ पच्चु यादव का जन्म का वर्ष 1958 के करीब हुआ है।

3.5 द्वितीय पक्ष के द्वारा उपरोक्त खाता की जमीन का सत्यापन जो कराया गया है, उसमें दो हुकुमनामा दिया गया है, जबकि दोनों हुकुमनामा पच्चु महतो के जन्म के पूर्व का है, जो अलग–अलग जमींदार द्वारा निर्गत दिखाया गया है।

3.6 पच्चु यादव पिता– कौड़ी यादव वर्तमान समय में जीवित हैं, जिनका उम्र मतदाता सूची में अभी लगभग 62 वर्ष हो रहा है जबकि तथाकथित हुकुमनामा सम्वत् 1997 साल यानि वर्ष– 1940 ई0 का दिखाया जा रहा है, जो कि फर्जी है। सुकर महतो एवं पच्चु महतो उर्फ यादव दोनों

सगे चाचा–भतिजा हैं। सुकर महतो, पच्चु महतो का चाचा है।

3.7 उक्त जमीन का जमींदार लटेया मोदी थे, और मौजा–राहम खाता सं0–389 प्लॉट सं0–2599 कुल रकबा–62.00 ए0 का प्लॉट है। उक्त खता का खेवट नं0–49/2, 50/2, 48/2 51, 52, 53 एवं अन्य है।

3.8 प्रथम पक्ष सुकर महतो पिता गंदौरी महतो के नाम से अपर समाहर्त्ता, चतरा के द्वारा पत्रांक XXX-CCL- भू0स0 मगध–01/16/1136 रा0, दिनांक–30.09.2019 के द्वारा प्रथम पक्ष के जमीन मौजा–राहम के हल्का नं0–V तौजी संख्या–28 थाना नं0–62 के अंतर्गत खाता सं0–389 प्लॉट सं0–2599 कुल रकबा–4.40 ए0 जमीन का सत्यापन किया गया है।

3.9 सुकर महतो के पिता गंदौरी महतो के नाम से रिटर्न है जो रिटर्न पजी में रकबा–4.40 ए0 भूमि एवं नाम दर्ज है। रिटर्न का सत्यापन उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, चतरा (विधि शाखा) का ज्ञापांक–1934 दिनांक–28.10.2023 के माध्यम से मिला है। माननीय उच्च न्यायालय रांची झारखण्ड के वाद सं0–WP(C) No- 5440/2021 से नकल प्राप्त है।

3.10 द्वितीय पक्ष पच्चु महतो उर्फ पच्चु यादव का जमाबंदी जो बनावटी कागजात के आधार पर बनाया गया है वह अपने जन्म से पहले का बनाया गया है, जो कि वोटर लिस्ट के अवलोकन से स्पष्ट है साथ ही पच्चु महतो के आधार कार्ड से भी स्पष्ट है। वंशावली में सुकर महतो, कौड़ी महतो वो झखर महतो सभी तीनों के पिता गंदौरी महतो थे तथा सुकर महतो, कौडी महतो एवं झखर महतो तीनो सगे भाई थे तथा उपरोक्त सभी का जमाबंदी अलग–अलग है तथा जमीन अलग–अलग है परंतु द्वितीय पक्ष फर्जी कागज के आधार पर अंचल कार्यालय के अभिलेख में छेड़–छाड़ कर गलत ढंग से प्रश्नगत् भूमि की जमाबंदी अपने जन्म के पूर्व से ही करवाने में सफल हो गया है जो सरासर गलत है।

3.11 अंत में बताया गया कि – प्रथम पक्ष का प्रश्नगत भूमि हुकुमनामा सम्वत् 1997 यानी वर्ष–1940 से प्राप्त है। भूतपूर्व जमींदार सुकर महतो के नाम से रिटर्न दाखिल किया गया है तथा वर्ष–1954–55 से सरकारी रसीद वर्ष–2024–25 तक निर्गत है। द्वितीय पक्ष का हुकुमनामा उसके जन्म के पूर्व का है, जो बनावटी एवं फर्जी है साथ ही भूतपूर्व जमींदार द्वारा पच्चु महतो उर्फ पच्चु यादव का नाम से कोई रिटर्न दाखिल नहीं है। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पच्चु महतो पिता– कौड़ी महतो के नाम से मौजा–राहम के पंजी–II के भाग 3 के पृष्ठ सं0–152 अंतर्गत खाता सं0–389 प्लॉट सं0–2599 रकवा– 15.40 ए0 का कायम जमाबंदी रद्द करने तथा पंजी–II के पृष्ट सं0–88/4 में सुकर महतो के नाम से कायम जमाबंदी को जायज करार देते हुए यथावत रखने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया।

4. विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित/दलील प्रस्तुत किया गया। प्रथम पक्ष द्वारा वाद हेतु आवेदन किया गया है एवं मौजा–राहम के हल्का नं0–V तौजी संख्या–28 थाना नं0–62 के पंजी–II के भाग 3 के पृष्ठ सं0– 152 अंतर्गत खाता सं0–389 प्लॉट सं0–2599 रकवा– 4.40 ए0 का कायम जमाबंदी को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। यह विरोधाभाषी है। यदि प्रश्नगत् भूमि की जमाबंदी पंजी–II के पृष्ट सं0–88 पर दर्ज है तो किस स्थिति में पंजी–II के भाग 3 के पृष्ठ सं0– 152 में चल रहे जमाबंदी को रदद करने का दावा किया जा रहा है। द्वितीय पक्ष के पच्चु यादव उर्फ पच्चु महतो ग्राम–राहम के स्थायी खतियानी रैयत है, इनके द्वारा अपने खतियानी भूमि का जोत करने के साथ–साथ ग्राम के जमींदार से मौखिक अनुमति से गैरमजरूआ खास भूमि को जोत–आबाद कर कृषि कार्य करते हुए दखलकार हुए।

4.1 पच्चु महतो ग्राम के जमींदार से अपने द्वारा जोत–आबाद किये गये भूमि को बंदोबस्त करने का निवेदन किये। पच्चु महतो के मौखिक निवेदन पर ग्राम के जमींदार द्वारा अमीन से मापी करवाने

पर पाया गया कि पच्चु महतो ग्राम–राहम थाना नं0–62 थाना– टण्डवा के खाता नं0–389 प्लॉट नं0–2599/1 के रकबा–4.20 ए0 एवं 2599/2 रकबा–1.00 ए0 भूमि के साथ अन्य प्लॉट के रकबा– 6.20 ए0 भूमि को जोत–आबाद कर कृषि कार्य कर रहे हैं। मापी होने के पश्चात् दिनांक–17.03.1940 को जमींदार द्वारा पच्चु महतो के नाम से उक्त भूमि का फर्द रिपोर्ट अमीन बाबत पैमाइश निर्गत किया गया।

4.2 फर्द रिपोर्ट बाबत पैमाइस निर्गत करने के उपरांत ग्राम के जमींदार के द्वारा पच्चु महतो से उचित सलामी ले कर सलाना मालगुजारी निर्धारित कर ग्राम–राहम के खातानं0–389 पलॉट नं0–2599/1 रकबा–4.20 ए0 प्लॉट नं0–2599/2 रकबा–1.00 ए0 प्लॉट नं0–2525 रकबा–1.00 ए0 भूमि पच्चु महतो के नाम से बंदोबस्त कर दिया तथा रैयत माना।

4.3 पच्चु महतो साल दर साल जमींदार के सिरिस्ते में मालगुजारी भुगतान कर मालगुजारी रसीद प्राप्त किये। जमीदांरी उन्मूलन के पश्चात् बिहार सरकार द्वारा पच्चु महतो को रैयत मानते हुए मालगुजारी प्राप्त कर सरकारी मालगुजारी रसीद वर्ष–1954 में निर्गत किया गया। तब से लगातार पच्चु महतो सरकारी सिरिस्ते में मालगुजारी अदा कर सरकारी रसीद प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इनके नाम से सरकारी मालगुजारी रसीद 2020–21 तक निर्गत है, जो पंजी–II के भाग नं0–03 पेज नं0–152 में दर्ज है।

4.4 पच्चु महतो एवं उनके पुत्रगण रकबा–4.20 ए0 भूमि पर बंदोबस्ती के समय से दखलकार चले आ रहे हैं एवं आज भी हैं। भूमि पर इनका वैद्य दखल–कब्जा के साथ–साथ स्वत्व कायम है।

4.5 अन्य भूमि के साथ–साथ ग्राम–राहम के पच्चु महतो के खाता नं0–389 के प्लॉट सं0–2899/1 रकबा–3.10 ए0 प्लॉट नं0–2599/2 रकबा–1.00 ए0 कुल रकबा–4.10 ए0 भूमि सी0सी0एल0 के लिए अधिगृहित किया जा रहा है।

4.6 सी0सी0एल द्वारा गैरमजरूआ भूमि का रैयती सत्यापन हेतु अपर समाहर्त्ता, चतरा के पास भेजा गया, राजस्व कर्मचारी, टंडवा अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी, टण्डवा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरिया, अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरिया तथा अपर समाहर्त्ता, चतरा द्वारा जाँचोपरांत पाया गया कि पच्चु महतो ग्राम–राहम के खाता नं0–389 प्लॉट सं0–2599/1 रकबा–3.10 ए0 प्लॉट नं0–2599/2 रकबा–1.00 ए0 के साथ–साथ अन्य खाता व प्लॉट की कुल रकवा–14.30 ए0 भूमि पर अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होने की तिथि –20.04.2017 से 30 वर्षों से अधिक से रैयत का जमाबंदी चल रहा है। इस तरह से अपर समाहर्त्ता, चतरा द्वारा पच्चु महतो के नाम से भूमि का रैयती मान्यता सत्यापन किया गया है। अंचल अधिकारी, टंडवा द्वरा पच्चु महतो के दखल–कब्जा के रकबा–4.10 ए0 भूमि के साथ–साथ 14.30 ए0 भूमि का नक्शा बनाकर दिया गया है।

4.7 उपर्यक्त तथ्यों से प्रमाणित होता है कि पच्चु महतो के नाम से रकबा–4.10 ए0 भूमि के साथ–14.30 ए0 भूमि पर दखल–कब्जा है तथा इनके नाम से चल रहा जमाबंदी वैद्य है।

4.8 पच्चु महतो का ग्राम–राहम के प्लॉट सं0–2599/1 एवं प्लॉट नं0–2599/2 रकबा–4.10 ए0 भूमि पर अपर समाहर्त्ता, चतरा द्वारा दखलकार पाया गया है। दूसरी ओर प्रथम पक्ष प्रश्नगत् खाता, प्लॉट के 4.40 ए0 भूमि का चल रहे ज़मांबंदी को रद्द करने का प्रार्थना किये है। 4.10 ए0 भूमि के बदले 4.40 ए0 भूमि का जमाबंदी रद्द नहीं किया जा सकता है। रकबा का यह अंतर प्रथम पक्ष के आवेदन को त्रृटिपूर्ण बनाता है।

4.9 प्रश्नगत् प्लॉट नं0–2599 का कुल रकबा–62.00 ए0 मधे रकवा– 4.10 ए0 भूमि द्वितीय पक्ष के दखल–कब्जे का है। इस तथ्य को अपर समाहर्त्ता, चतरा द्वारा भूमि के रैयती मान्यता देने हेतु सत्यापन के कम में सत्य पाया गया है। प्रथम पक्ष प्लॉट नं0–2599 में अपना भूमि होने का दावा करते हैं।

4.10 प्रथम पक्ष के द्वारा ग्राम–राहम के पंजी–II के भाग सं0 3 के पेज नं0–152 में पच्चु महतो के नाम से चल रहे 4.40 ए0 भूमि के जमाबन्दी को रद्द करने का आवेदन किये है। यहां बतलाना आवश्यक है कि ग्राम–राहम के पंजी–II के भाग सं0–3 पेज नं0–152 में पच्चु महतो के नाम से खाता नं0–389 एवं 416 के भिन्न–भिन्न प्लॉटों का 15.40 ए0 भूमि का जमाबंदी चल रहा है। प्रथम पक्ष के आवेदन पर जमाबंदी का रद्द करना न्यायहित में उचित नहीं होगा।

4.11 जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् हल्का कर्मचारी के द्वारा भूमि पर दखल–कब्जा पाने के उपरांत तथा जमींदारी रसीद के आलोक में पच्चु महतो के नाम से प्रश्नगत् भूमि का जमाबंदी खोलकर सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत किया गया। उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा पत्रांक–382 हजारीबाग दिनांक–05.02.1985 के अधिसूचना के अनुसार दिनांक–31.02.1957 तक जमाबंदी खोलने का अधिकार हल्का कर्मचारी को था। इस अवधि में कर्मचारी द्वारा खोला गया जमाबंदी वैद्य माना जायेगा।

4.12 माननीय पटना उच्च न्यायालय रांची बेंच द्वारा CWJC No-854/1982 सीताराम प्रसाद सिंह वगैरह बनाम द स्टेट आफ बिहार वगैरह में दिये गये निर्णय के अनुसार किसी रैयत को दिनांक–01.01.1946 के पूर्व गैर आबाद मालिक भूमि बंदोबस्त किया गया है, उसका दाखिल–खारिज रैयत के नाम से हो गया है तथा रैयत मालगुजारी अदा कर सरकारी रसीद प्राप्त करते चला आ रहा है, उसके विरूद्ध सरकार द्वारा कोई आपील या रिविजन दायर नहीं किया गया है। वैसे जमाबंदी को पुनः नहीं खोला जा सकता है। द्वितीय पक्ष को भूमि 1940 में बंदोबस्त हुआ तथा जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् सरकारी मालगुजारी रसीद प्राप्त करते चले आ रहे हैं, इसलिए प्रथम पक्ष के आवेदन पर उनके नाम से चल रहे जमाबंदी को खारिज नहीं किया जा सकता है।

4.13 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No-641/1976 हरिहर सिंह वगैरह बनाम एडिसनल कलेक्टर मुंगेर में दिये गये निर्णय अनुसार गैरमजरूआ भूमि रैयत को सादा हुकुमनामा से बंदोबस्त किया गया है, लगान रसीद निर्गत हो रहा है, ऐसे में किसी के आवेदन पर जमाबंदी को खारिज नहीं किया जा सकता है।

4.14 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No-75/1999 (R) दिलीप कुमार महतो बनाम बिहार सरकार में दिये गये निर्णय के अनुसार किसी रैयत के नाम से लम्बे समय से चल रहे जमाबंदी को किसी व्यक्ति के आवेदन पर संक्षिप्त कार्यवाही (Summary Proceedings) पर जमाबंदी को खारिज नहीं किया जा सकता है। इसके लिए प्रभावी पक्ष को सिविल कोर्ट जाना होगा। इसी तरह का निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No-1793/1997 (R) रिषि सिमेन्ट लिमिटेड बनाम् बिहार सरकार में दिया गया है।

4.15 उपरोक्त निर्णयों के आलोक में एक व्यक्ति के द्वारा दिये गये आवेदन पर विविध वाद के संक्षिप्त विचारणीय मामला के द्वारा किसी रैयत के नाम से लम्बे अवधि से चले आ रहे जमाबंदी को रद्द नहीं किया जा सकता है। इसके लिए प्रभावी सिविल कोर्ट जाना होगा।

अंत में उपर्युक्त तथ्यों/नियमों/माननीय न्यायालयों द्वारा पारित न्यायादेशों के आलोक में प्रथम पक्ष के आवेदन पर खोले गये विविध वाद सं0–26/2025 को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

5. उभय पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन, दलील एवं कागजातों के सुनने एवं अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि–

5.I प्रश्नगत् भूमि सी0सी0एल0 परियोजना अंतर्गत अधिगृहित है।

5.II प्रश्नगत् भूमि प्रथम पक्ष को हुकुमनामा से वर्ष–1944 में एवं विपक्षी को हुकुमनामा से वर्ष– 1940 में हासिल है।

5.III प्रथम पक्ष का जमाबंदी पंजी–II के पृष्ठ सं0– पृष्ट सं0–88/4 पर कायम है एवं वर्ष–1954–55

से सरकारी रसीद वर्ष–2024–25 तक एवं द्वितीय पक्ष का जमाबंदी पंजी–II के भाग सं0 3 के पेज नं0–152 कायम है एवं वर्ष–1954 से वर्ष–2020–21 तक निर्गत है। **दोनों का जमाबंदी वर्ष–1954 से अभी तक 70 वर्षों से कायम है।**

5.IV जमींदार द्वारा प्रथम पक्ष के भूमि का रिटर्न दाखिल किया गया है। परंतु रिटर्न सत्यापित नहीं है। **विपक्षी के पक्ष में रिर्टन नहीं है।**

5.V सत्यापन दल द्वारा (अंचल अधिकारी, टंडवा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरिया, अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरिया एवं अपर समाहर्त्ता, चतरा) द्वारा प्रथम पक्ष के दावे की भूमि का सत्यापन अपर समाहर्त्ता, चतरा के द्वारा पत्रांक XXX-CCL- भू0स0 मगध–01/16/1136 रा0, दिनांक–30.09.2019 द्वारा एवं विपक्षी के दावे की भूमि का सत्यापन अपर समाहर्त्ता, चतरा के द्वारा पत्रांक XXX-CCL- भू0स0 मगध–01/16/787 रा0, दिनांक–25.07.2019 द्वारा किया गया है। सत्यापन से दोनो पक्षों का दखल एवं जमाबंदी की पुष्टी हुई है।

5.VI. प्रथम पक्ष द्वारा रकबा–4.40 ए0 का जमाबंदी एवं द्वितीय पक्ष द्वारा रकबा–15.40 ए0 के जमाबंदी के साक्ष्य में ऑफलाईन प्रथम लगान रसीद एवं अन्य लगान रसीद निम्न प्रकार दाखिल किया गया है।

	प्रथम पक्ष		**द्वितीय पक्ष**	
क0	लगान रसीद नं0	दिनांक	लगान रसीद नं0	दिनांक
1	223783	**31.03.1955 (प्रथम लगान रसीद)**	228767	**09.01.1954 (प्रथम लगान रसीद)**
2	901103	28.11.1976	042037	7.04.1961,
3	398099	29.03.1988	505477	09.02.1966
4	493666	28.03.1987	675451	12.01.1971,
5	650665	02.02.1985	765479	12.10.1975,
6	281438	23.03.1995,	821165	02.06.1992
7	2914880	05.02.2006	114617	01.12.1972
8	088062	09.03.2008	690845	25.02.1981
9	0575853181	14.08.2021	650745	04.02.2005
10	0953144531	13.06.2025 (अंतिम ऑनलाईन रसीद 2023–24)	415825	02.03.1987
11	–	–	302434	11.12.1987
12	–	–	134415	02.03.1990
13	–	–	698265	02.02.1999
14	–	–	7405535	28.01.2001
15	–	–	0304022	09.01.2005
16	–	–	2912432	25.01.2006
17	–	–	026272	12.03.2009
18	–	–	0614203105	01.09.2018
19	–	–	0228807186	13.06.2025 (अंतिम ऑनलाईन रसीद 2025–26)

5.VII प्रथम पक्ष का जमाबंदी वर्ष– 1955 से रकबा–4.40 ए0 का अभी तक कायम है। उस जमाबंदी

में रकबा घटाया नहीं गया है। विपक्षी का भी जमाबंदी 1954 से अभी तक रकबा–15.40 ए0 का कायम है । इस जमाबंदी में रकबा बढाया नहीं गया है।

5.VIII प्रथम पक्ष द्वारा दावा किया जा रहा है कि उनका भूमि रकबा–4.40 ए0 का दोहरी जमाबंदी कायम है परंतु विपक्षी के जमाबंदी में रकबा–4.40 ए0 भूमि का दोहरी जमाबंदी होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रथम पक्ष की जमाबंदी पंजी–II के पृष्ट सं0–88/4 पर एवं विपक्षी की जमाबंदी पजी–II के भाग–3 पृष्ट सं0–152 पर अलग–अलग शुरू से कायम है इसमें रकबा घटाया या बढाया नहीं गया है।

5.IX द्वितीय पक्ष पच्चु महतो का ग्राम–राहम के प्लॉट सं0–2599/1 एवं प्लॉट नं0–2599/2 रकबा–4.10 ए0 भूमि पर पूर्व में अपर समाहर्त्ता, चतरा द्वारा दखलकार पाया गया है। दूसरी ओर प्रथम पक्ष प्रश्नगत् खाता, प्लॉट के 4.40 ए0 भूमि का चल रहे जमाबंदी को रद्द करने का प्रार्थना किये है। प्रथम पक्ष द्वारा इस प्लॉट के अंतर रकबा–0.30 ए0 भूमि के संबंध में स्पष्ट नहीं किया गया है।

5.X. सक्षम राजस्व पदाधिकारियों द्वारा पूर्व में प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष दोनों के दावे वाली भूमि का सत्यापन किया गया है इससे उनका जमाबंदी एवं दखल–कब्जा प्रमाणित होता है।

5.XI प्रथम पक्ष द्वारा दावा किया जा रहा है कि द्वितीय पक्ष को वर्ष– 1940 में हुकुमनामा प्राप्त है जबकि अभी उनका उम्र– 62 वर्ष है तो क्या उनको जन्म से पूर्व हुकुमनामा कैसे प्राप्त है। परंतु जमाबंदी 1954 से अभी तक कायम है एवं लगान रसीद निर्गत हो रहा है।

5.XII अभिलेख में संलग्न कागजातों से यह भी स्पष्ट है कि दोनों पक्ष आपस में गोतिया है।

5.XIII इस न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न वादों में पारित न्यायादेशों का उद्धरण प्रस्तुत किया गया है कि लम्बी समय से कायम जमाबंदी को संक्षिप्त कार्यवाही (Summary Proceedings) पर खारिज नहीं किया जा सकता है।

अतएव उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचनाओं के स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत् भूमि की जमाबंदी दोनों पक्षों का लम्बी अवधि से कायम है। सक्षम राजस्व पदाधिकारियों का दल द्वारा दोनों की दावे वाली भूमि का सत्यापन किया गया है। प्रश्नगत् भूमि के रकबा–4.40 ए0 का अलग जमाबंदी कायम नहीं है। दोनों पक्ष आपस में गोतिया भी है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट होता है कि यह हक–हकीयत, स्वत्व निर्धारण से संबंधित मामला है। प्रथम पक्ष द्वारा दायर किये गये प्रश्नगत् भूमि का जमाबंदी रद्द करने संबंधी आवेदन पर विचार करना इस न्यायालय के परिधि के अंतर्गत नहीं है। चूँकि द्वितीय पक्ष की जमाबंदी 1954 से वर्तमान तक अर्थात् 70 वर्षों से कायम है, इतने लंबे अवधि की जमाबंदी को राजस्व न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता है। यह व्यवहार न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है।

असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय/अपीलीय न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र हैं। इसी निष्कर्ष के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,

17/12/2018

भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता,
सिमरिया।

17/12/2018

भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता,
सिमरिया।

Digitally signed by Sunny Raj
Date: 2018.12.18 13:25:01 +05:30
Location: 192.168.1.24